


कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर।

दिनांक:- 03.10.2018

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या 956/ एस0एल0 एस0ए0/37ए दिनांकित 19.04.2018 के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी-2 पद, चौकीदार-1 पद व सफाई कर्मी-1 पद) कुल-04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/- रु0, 5000/-रु0 व 2000/-रु0 पर अस्थाई रूप से 28.02.2019 तक के लिये नियुक्ति जरिये आउटसोर्सिंग की जानी है। तदनुसार हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर में दिनांक 23.10.2018 तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्तें जनपद न्यायालय बलरामपुर की वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/balrampur से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

दिनांक:-03.10.2018


(सर्वेश कुमार)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलरामपुर।

प्रतिलिपिक निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-
पत्रांक 1540 दिनांक 2-10-18

नियम व शर्तें

1-सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी- 02 पद, चौकीदार - 01 पद सफाई कर्मी-01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/=रुपये, 5000 /=रुपये, 2000/= रुपए पर अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2019 तक के लिए नियुक्त की जाएगी। नियुक्त कर्मचारीगण का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई-पेमेंट पब्लिक चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और संबंधित कर्मचारीगण लोक सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे। संबंधित कर्मचारीगण एवं प्राधिकरण के मध्य इस संबंध में कोई व्ययहार अथवा पत्राचार नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त अस्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता होगी।

क्रम संख्या	पद का नाम	योग्यता
1	चपरासी	कक्षा आठ पास (चार पहिया वाहन चलाने वाले को वरीयता)
2	चौकीदार	कक्षा आठ पास
3	सफाई कर्मी	कक्षा आठ पास

- 1-उपरोक्त के अतिरिक्त भारत का नागरिक होना आवश्यक है व अच्छे आचरण एवं चाल-चलन वाला आज्ञाकारी एवं विनम्र होना अनिवार्य है।
- 2-सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी का कोई भी आपराधिक इतिहास एवं कोई भी अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।
- 3-अभ्यर्थी को किसी मामले में न्यायालय द्वारा दंडित ने किया गया हो एवं न ही विवर्जित(Debar) किया गया हो।
- 4-सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।
- 5-अभ्यर्थी का एक से अधिक जीवित पति /पत्नी नहीं होनी चाहिये।
- 6-आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय, बलरामपुर में दिनांक 23-10-2018 तक जमा किए जा सकते हैं।
- 7-सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बलरामपुर से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निष्पादित करेगा जिस में नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी विनम्र व विहित योग्यता धारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।

8-सेवा प्रदाता के संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी

दिनांक :- 03.10.2018

(सर्वेश कुमार) 03/10

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बलरामपुर